



मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

ब्लॉक नं.-7, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर-482008, (म.प्र.)

CIN: U40109MP2002SGC015120 Website: www.mpez.co.in

दूरभाष:0761-2702020, Email:aspkez@gmail.com

क्रमांक प्र.सं./पू.क्षे./मु.महा.प्र.(मा.सं.एवं प्रशा.)/मा.सं./ 6151

जबलपुर दिनांक 16.09.26

कंपनी स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर में

स्वतंत्र सदस्य के पद के लिए विज्ञापन

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण-द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड के अनुसार कंपनी स्तर के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में स्वतंत्र सदस्य के पद के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

पात्रता मानदंड तथा नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:

- (i) पात्रता मानदंड: मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण-द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 के नियम 3.3 (चार) के अनुसार स्वतंत्र सदस्य उपभोक्ता संबंधी मामलों से सुपरिचित होना चाहिए तथा किसी भी अध्ययन क्षेत्र में स्नातक उपाधि या विद्युत अभियांत्रिकी विषय में डिप्लोमा उपाधि का धारक होने के साथ-साथ उसके पास न्यूनतम 20 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव अधिमानतः केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ऊर्जा उपयोगिता उपक्रम के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों में से या फिर तकनीकी/वित्तीय/विधिक मामलों में उत्कृष्ट योग्यता के व्यक्तियों में से होना चाहिए।
- (ii) स्वतंत्र सदस्य क्षमता, सत्यनिष्ठा और अपने क्षेत्रों में पर्याप्त ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उसकी आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण-द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 के विनियम 3.9 के अनुसार स्वतंत्र सदस्य का कार्यकाल उनकी कार्य पर उपस्थिति की दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए होगा परंतु यह भी कि 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर अपना कार्यभार धारित नहीं कर सकेगा।
- (iv) स्वतंत्र सदस्य को रू. 32,500/- प्रति माह के समेकित मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
- (v) अन्य भत्ते:
(अ) स्थानीय कर्तव्य के लिए रू. 2500/- प्रति माह का वाहन भत्ता देय होगा।
(ब) मोबाइल शुल्क रू. 1000/- प्रति माह तक सीमित होगा।
(स) कार्यालयीन दौरे पर, स्वतंत्र सदस्य को कंपनी के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए लागू टीए/डीए की पात्रता होगी।
- (vi) कलैण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश, 03 दिन के ऐच्छिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

रक्षा त्रिपाठी
उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)

Page 1 of 3



Scanned with OKEN Scanner

- (vii) अन्य नियम एवं शर्तें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण-द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 व समय-समय पर संशोधित प्रावधान तथा माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिए जाने वाले अन्य निर्देशों के अनुसार होगी।
- (viii) कंपनी में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30.09.2026 है। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी डाक विलंब के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।
- (ix) पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (x) चयन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा जबलपुर स्थित न्यायालयों में ही किया जाएगा।

संचार के लिए पता:

मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ब्लॉक नंबर 7, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, रामपुर
जबलपुर, मध्यप्रदेश
पिन कोड-482008

कृपया लिफाफे के ऊपर "कंपनी स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर में स्वतंत्र सदस्य के पद के लिए आवेदन" लिखें।

- टीप: 1. केवल आवेदन प्रस्तुत करने से उम्मीदवार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
2. कंपनी विज्ञापन/आवेदन प्रपत्र के प्रकाशन में किसी भी लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
3. कंपनी द्वारा प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है।


(एम.ए.कुरैशी)

मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.)


अध्यक्ष (मा.संसा.)

कंपनी स्तर के विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर में स्वतंत्र सदस्य के पद के लिए आवेदन

1.	आवेदक का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)				
2.	जन्म तिथि				
3.	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30.09.2026 को आयु				
4.	शैक्षणिक योग्यता (अ या व में से कोई एक)	(अ) स्नातक उपाधि (ब) विद्युत अभियांत्रिकी विषय में डिप्लोमा उपाधि			
5.	क्या आवेदक उपभोक्ता संबंधी मामलों से सुपरिचित है				
6.	क्या आवेदक को न्यूनतम 20 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव अधिमानतः केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ऊर्जा उपयोगिता उपक्रम के सेवानिवृत्त पदाधिकारी के रूप में है	यदि हां, तो सरल क्रमांक 7, 8 एवं 9 में विवरण प्रस्तुत करें यदि न, तो सरल क्रमांक 10 में विवरण प्रस्तुत करें			
7.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ऊर्जा उपयोगिता उपक्रम का नाम				
8.	व्यावसायिक अनुभव का विवरण (धारित पद, पोस्टिंग का स्थान, सेवा की अवधि और प्रत्येक पद के लिए संभाले गए कार्य का विस्तृत विवरण इंगित किया जाए) (यदि आवश्यक हो तो पृथक से शीट संलग्न करें)।	धारित पद	पदस्थापना का स्थान	सेवा की अवधि (तारीख के साथ)	कार्य का विवरण
9.	सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि पेंशन विवरण के साथ	सेवानिवृत्ति की तिथि पेंशन विवरण			
10.	तकनीकी/वित्तीय/विधिक मामलों में उत्कृष्ट योग्यता				
11.	विशेष उपलब्धियां				
12.	कोई अन्य जानकारी जो उम्मीदवार देना चाहें				
13.	वर्तमान पता (पूरा)				
14.	ई मेल आईडी				
15.	मोबाइल नं.				

नोट: उम्मीदवार द्वारा कार्य अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, आयु आदि के समर्थन में दस्तावेज संलग्न किए जावें।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर